आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · School Education Department, Government of Madhya Pradesh

दिव्यांग विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्ति योजना कक्षा 1 से 12

मध्य प्रदेश में पढ़ रहे कक्षा 1 से 12 के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सालाना छात्रवृत्ति। इसमें आय की कोई सीमा नहीं है।

क्या मिल सकता है

लड़के और लड़की दोनों को कक्षा 1 से 8 में Rs 500 और कक्षा 9 से 12 में Rs 1,000 मिलते हैं। पैसा सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में आता है।

किसके लिए है

कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले वे विद्यार्थी जो मध्य प्रदेश के सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूल में नियमित पढ़ते हैं।

मुख्य शर्तें

- विद्यार्थी मध्य प्रदेश का निवासी हो और सरकारी या मान्यता प्राप्त संस्था में नियमित पढ़ता हो।
- डॉक्टर का दिव्यांगता प्रमाण पत्र चाहिए जिसमें 40 प्रतिशत या उससे ज्यादा दिव्यांगता लिखी हो।
- आय की कोई सीमा नहीं है।

दस्तावेज़

- डॉक्टर का दिव्यांगता प्रमाण पत्र, जिसमें कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांगता लिखी हो

आवेदन कैसे करें

1. अपने दस्तावेज स्कूल में दें। शिक्षक विद्यार्थी की प्रोफाइल शिक्षा पोर्टल shikshaportal.mp.gov.in पर दर्ज करते हैं।
2. पात्रता के अनुसार आवेदन पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आगे बढ़ता है।
3. छात्रवृत्ति सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://cmhelpline.mp.gov.in/Schmedetail.aspx?Schemeid=389
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/madhya-pradesh/mp-divyang-vidyarthi-chhatravritti-class-1-12/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।